न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00444

मन्नी बाई पत्नी श्री श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम पीपल्या तहसील एवं जिला बून्दी
———अपीलान्ट

बनाम

1. कुन्ती बाई पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वरनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. हंसराज आत्मज श्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वर नगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. नीतू बाई नाबालिग पुत्री रामेश्वर जाति मीणा जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कुन्ती बेवा रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वर नगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीपक साहू, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ईश्वर नगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 175 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.01 हैक्टर कुल 02 किता की 0.17 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का अभी तक पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं

हुआ है । वादिनी ने उक्त भूमि धनराज से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है । क्रय से पूर्व धनराज के कब्जे में जो भूमि थी वह अभी वादी के कब्जे में है लेकिन उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा करवाये और विभाजन में प्राप्त भूमि को पृथक से अपने खातेदारी में दर्ज करावे तथा पृथक लगान कायम करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को वादी के पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में से वादीगण को उनके हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा काश्त करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. तत्पश्चात् दिनांक 22.06.2010 को पक्षकारान ने परीक्षण न्यायालय में लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया । उक्त राजीनामे को परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 22.06.2010 को तस्दीक किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2010 के द्वारा वाद वादी बरूए राजीनामा डिक्री किया गया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे अनुसार जो अंतिम डिक्री पारित की है वह कानून एवं तथ्यों के विरूद्ध है । वादी अपीलान्ट को राजीनामा अनुसार कुछ भूमि ज्यादा दी गई है क्योंकि खसरा नम्बर 176 में बनी हुई पक्की दुकाने व गिलेरी प्रतिवादीगण के हिस्से में रखी गई थी इस कारण खसरा नम्बर 175 में 0.09 हैक्टर खाते दर्ज की जानी चाहिए थी जो नहीं कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामे के आधार पर दिनांक 29.06.2010 को डिक्री पारित की गई और उसके आधार पर दिनांक 23.05.2013 को बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री के रूप में पारित की गई जिसमें खसरा नम्बर 175 के दो भाग करके 0.08 हैक्टर वादी तथा 0.08 हैक्टर प्रतिवादीगण के हिस्से में रखी गई और खसरा नम्बर 176 को प्रतिवादीगण के हिस्से में रखा गया है जबकि राजीनामा अनुसार वादी के हिस्से में ज्यादा भूमि रखी जानी थी । राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का दुरूपयोग कर प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बेचान करने लगे तो विवाद उत्पन्न हुआ । इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कुल 02 किता की रकबा 0.17 हैक्टर वाके ग्राम ईश्वरनगर तहसील के0 पाटन में स्थित है जिसके बाबत् अपीलान्ट वादी ने बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । वादी और प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 22.06.2020 को राजीनामा पेश किया और परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 29.06.20210 को अंतिम डिक्री राजीनामे के अनुसार पारित कर दी परन्तु परीक्षण न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर जो डिक्री पारित की है वह कानूनन तथ्यों के विपरीत है । अपीलान्ट को राजीनामे के अनुसार कुछ ज्यादा भूमि दी गई है क्योंकि खसरा नम्बर 176 में बनी हुई दुकाने व गैलेरी प्रतिवादीगण के हिस्से में रखी थी इस कारण खसरा नम्बर 175 में से 0.09 हैक्टर आराजी खाते में दर्ज होनी चाहिए जो नहीं करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने राजीनामे के अनुसार निर्णय पारित किया है । राजीनामे के अनुसार पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 बहाल रखा जावे।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादिनी के द्वारा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है और उसमें यह कथन किया है कि कुल 02 किता की आराजी रकबा 0.17 हैक्टर ग्राम ईश्वर नगर तहसील के0 पाटन में स्थित है । उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 3 का 1/2 हिस्सा निहित है । प्रकरण में पक्षकारान के द्वारा दिनांक 22.06.2010 को एक राजीनामा पेश किया गया है । राजीनामे में वादिनी मन्नी बाई और प्रतिवादी क्रम 01 कुन्तीबाई के निशानी अंगूठा हैं । प्रतिवादी क्रम 2 व 3 नाबालिग हैं जिनकी वली माता प्रतिवादी क्रम 01 है । राजीनामे में वादी और प्रतिवादी को उनके अभिभाषक ने पहचाना और परीक्षण न्यायालय ने बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया है । राजीनामे के साथ एक नक्शा भी संलग्न किया गया है और उसमें यह अंकित है कि यह राजीनामे का अभिन्न अंग रहेगा । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दावा बरूए राजीनामा डिक्री किया है और यह अंकित किया है कि राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा । अब अपीलान्टगण द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री के खिलाफ यह अपील पेश की है । इस क्रम में हमारा मत है कि राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय में कुछ संशोधन अपेक्षित है तो परीक्षण न्यायालय के

समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2018/00444

मन्नी बाई पत्नी श्री श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम पीपल्या तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कुन्ती बाई पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वरनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. हंसराज आत्मज श्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वर नगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. नीतृ बाई नाबालिग पुत्री रामेश्वर जाति मीणा जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कुन्ती बेवा रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वर नगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 133/दावा/2009

मन्नी बाई पत्नी श्री श्रवण जाति मीणा निवासी ग्राम पीपल्या तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. कुन्ती बाई पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वरनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी

2. हंसराज आत्मज श्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वर नगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. नीतू बाई नाबालिग पुत्री रामेश्वर जाति मीणा जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कुन्ती बेवा रामेश्वर जाति मीणा निवासी ईश्वर नगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 17.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री दीपक साहू एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2010 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

17.8.21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा